तिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वाद पत्र में मौजा बोड़िन्दखुर्द में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 0.1619 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 207 रकबा 2.3067 हैक्टेयर कृषि भूमि में से बंट चाहा गया है। अतः हम वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिन्द खुर्द का खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 207 रकबा 2.3067 हैक्टेयर में से रकबा 1.0724 हैक्टेयर उत्तरी–पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. शेंष खाता यथावत घोषित किया जाता है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरे का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.08.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner